State Health Society, Bihar
राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

परिवार कल्याण भवन, शेपुरा, पटना– 800 014
Pariwar Kalyan Bhawan, Sheikhpura, Patna-800014
Phone : 0612-2281545, 2290322 (f), 3244021, 2290328
webside: www.shsbihar.org, E-mail:info@shsbihar.org

इच्छुक नागरिक ध्यान दें!

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिषन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य कें शहरों में स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने के लिए सभी जिला मुख्यालय में शहरी स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है। इन शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों में उन्नयन सुविधा हेतु निर्धन शहरी समुदाय के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सुधार की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध होगी। शहरी स्वास्थ्य केन्द्र में मुफ्त ओ0पी0डी0, मुफ्त दवा, टीकाकरण, षिषु स्वास्थ्य, प्रसव पूर्व देख–रेख, संस्थागत प्रसव एवं परिवार नियोजन की सेवाएँ प्रदान की जाएगी ।

यदि कोई व्यक्ति/संस्था शहरी स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन के लिए निजी मकान अथवा निजी संरचित स्थान स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार को मुफ्त देने की इच्छा रखते हों उनके लिए एक सुनहरा अवसर 'अपने नाम पर सरकारी शहरी स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का' ।

इच्छुक व्यक्ति/संस्था जिन्हें प्रस्तावित मकान का स्वामित्व प्राप्त हो निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण होने की स्थिति में आवेदन कर सकते है–

1. मकान/संरचित स्थान जो उपरोक्त सेवा को पूर्ण करने के लायक हो ।
2. मकान में महिला रोगी के लिए उपर्युक्त एवं अलग व्यवस्था, पुरूष एवं महिला के लिए साफ–सुथरा अलग–अलग षौचालय एवं रोगियों को बैठने/प्रतीक्षा करने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
3. मकान मलिन वस्ती के नजदीक हो एवं आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो ।
4. मकान सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों से दूर होनी चाहिए ।
5. मकान को 10 वर्ष के लिए पट्टा पर देना होगा ।

इच्छुक व्यक्ति/संस्था, अपने निजी मकान/संरचित स्थान उक्त कार्य हेतु सरकार को मुफ्त देना चाहते हैं वे सीलबंद लिफाफा"शहरी स्वास्थ्य केन्द्र हेतु मकान/ संरचित स्थान देने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति" लिखकर स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्री, कुरियर के द्वारा दिनांक– 07.01..2009 के अपराह्न–5.00 बजे तक निम्नलिखित पते पर आवेदन भेज सकते हैं–

पता– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार, परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा पटना–14

प्रस्तावित कार्यक्षेत्र निम्नलिखित तालिका में भर कर लिफाफे में दे सकते हैं–

क्र.स.	जिला मुख्यालय के शहर का नाम	पता एवं पूर्ण विवरणी जहाँ मकान उपलब्ध है
1.		1.
		2.
		3.
2.		1.
		2.
		3.

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार का निर्णय अंतिम होगा। राज्य स्वास्थ्य सामिति, बिहार बिना किसी कारण के किसी भी अभिव्यक्ति को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

कार्यपालक निदेशक